अध्याय VIII : निष्कर्ष और सिफारिशें

लेखापरीक्षा उद्देश्य I

क्या विभाग के पास पर्याप्त मानव संसाधन और कुशल आईटी प्रणाली है और नवीनतम तकनीक का उपयोग किया है और अवैध खनन की जांच एवं रोकथाम के बारे में जानकारी है ।

प्रौद्योगिकी का उपयोग: राजस्थान खनिज नीति, 2015 में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों की पहचान और उन्हें रोकने के लिए सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में आसानी से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का उपयोग नहीं किया । अनियमितताएं जैसे की पट्टों का ओवरलैपिंग और पट्टों के बीच खाली पड़े क्षेत्रों का आवंटन/नीलामी नहीं करना, ई-रवन्ना का दुरुपयोग (जहां खनिज का उत्खनन नहीं किया गया था लेकिन पट्टेदारों ने ई-रवन्ना का उपयोग करके खनिज भेजा था) की विभाग द्वारा पहचान नहीं की जा सकी । इसके अलावा, विभाग आईटी सिस्टम का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहा । डीएमजीओएमएस पर संधारित मांग पंजीका में अवैध खनन गतिविधियों से संबंधित मांगों को नहीं दर्शाया गया था । ईसी/सीटीओ में अनुमत्य मात्रा से अधिक खनिज के निर्गमन को स्वतः रोकने के लिए प्रणाली में कोई अवरोधक व्यवस्था नहीं थी ।

विभाग विचार कर सकता है:

1. *अवैध खनन गतिविधियों की पहचान में तेजी लाने के लिए रिमोट सेंसिंग/जीआईएस तकनीक जैसे गूगल अर्थ प्रो के साथ अन्य आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग करना;*
2. *खननपट्टों के ओवरलैपिंग को दूर करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस तकनीक का उपयोग करके सभी मौजूदा खननपट्टों का मानचित्रण करना;*
3. *नीलामी नहीं किए गए गैप क्षेत्रों के लिए अधिकारियों पर जवाबदेही तय करना और गैप क्षेत्रों की नीलामी के लिए प्राथमिकता के आधार पर समय सीमा निर्धारित करना;*
4. *जब भी उत्खनित मात्रा ईसी द्वारा अनुमत्त सीमा को पार करे तो डीएमजीओएमएस प्रणाली में रवन्ना जारी को प्रतिबंधित करने के लिए ऑटो ब्लॉक की व्यवस्था संस्थापित करना, साथ ही अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के लिए राशि की वसूली में तेजी लाना;*
5. *ऑनलाइन मांग और संग्रहण लेखा में मांग को अपलोड करने के बाद ही मांग नोटिस जारी करने के लिए डीएमजीओएमएस में एक प्रणाली संस्थापित करना;*
6. *खनन की अनुमति दिये गये सभी एसटीपी का मानचित्रण करना एवं निर्देशांक को अपलोड करना;*
7. *ई-रवन्ना में प्रेषण के स्थान और गंतव्य के बीच की दूरी को मापने के लिए जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना; और*
8. *वाहनों में जीपीएस संस्थापन और आरएफआईडी प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी अच्छी तकनीक को अपनाना जैसा कि अन्य राज्यों द्वारा शूरू की गई है और खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान द्वारा प्रस्तावित है।*

ई-रवन्ना और तौल पुल : तुला पुलों के संचालन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं जैसे कि एक वाहन की तस्वीर का कई बार उपयोग विभिन्न ई- रवन्नों की पुष्टि के लिए किया गया था जो

इंगित करता है कि वाहनों के वास्तविक वजन के बिना ई-रवन्ना की पुष्टि की गई थी। तुला पुलों की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी की प्रणाली में शिथिलता थी। विभाग के पास मुद्रित क्रमांक वाले पंचनामों का उपयोग करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके परिणामस्वरूप उच्च अधिकारियों को अवैध खनन गतिविधियों की सूचना नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त, खनिजों के अवैध परिवहन के मामलों में अवैध खनन के स्रोतों/स्थलों की जांच नहीं की गई थी। यदि खामियों को दूर किया जाये और नियमों के उल्लंघन को रोका जाए तो खनन रॉयल्टी से सरकारी राजस्व को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है।

विभाग विचार कर सकता है:

1. *कदाचार को रोकने के लिए राज्य भर में तुला पुलों द्वारा उपयोग किए जाने हेतु एकल सॉफ्टवेयर का विकास या अनुमोदन जिस पर विभाग का समग्र नियंत्रण हो;*
2. *आईटी प्रणाली के माध्यम से एक केन्द्रीकृत केन्द्र पर तुला पुलों की निगरानी को सुदृढ करना;*
3. *अवैध परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के प्रकरणों को परिवहन विभाग के पास कार्यवाही के लिए भेजना ताकि वाहन मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सके;*
4. *अवैध खनन पर शिकायतों की जांच के लिए डीएमजीओएमएस में उपलब्ध दिनांक और तस्वीरों का बेहतर उपयोग करना तथा कदाचार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करना ताकि एक निवारक के रूप में कार्य किया जा सके; और*
5. *राजस्थान के परिवहन विभाग द्वारा पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए पंचनामों को मुद्रित क्रमांकों के साथ उपयोग करने की अच्छी प्रथा को अपनाना।*

मानवशक्ति संसाधनों का प्रबंधन: अवैध खनन की जांच करने और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी मानवशक्ति जैसे कि खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता और खनि कार्यदेशक की कमी थी। विभाग के कुछ अधिकारियों को ही अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। क्षेत्र कार्यालयों में उपयोग के लिए नवीनतम उपकरणों की खरीद विभाग द्वारा नहीं की गई थी।

अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और सरकारी राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए विभाग के पास एक सतर्कता शाखा थी। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान, सतर्कता कार्यालयों ने 956 मामलों की पहचान की, जबकि उसी क्षेत्र पर, अधिकार क्षेत्र वाले खण्ड कार्यालयों ने अपने नियमित कार्य के अलावा अवैध खनन गतिविधियों के 2,434 मामलों की पहचान की। यह इंगित करता है कि सतर्कता विंग का प्रदर्शन ठीक नहीं था और अवैध खनन गतिविधियों की पहचान के लिए विशेष विंग की स्थापना का उद्देश्य भी उस हद तक विफल रहा था।

विभाग विचार कर सकता है:

1. *दोहराव से बचने और उनकी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए खण्ड कार्यालयों और सतर्कता कार्यालयों के अधिकारियों को सौंपे गए कर्तव्यों की समीक्षा करें और सतर्कता विंग के कामकाज को मजबूत करने के उपाय करें; और*
2. *उत्खनित खनिजों की मात्रा मापने के लिए नवीनतम तकनीक अपनाएं।*

लेखापरीक्षा उद्देश्य II

क्या अवैध खनन की जाँच और इसे रोकने के लिए खानों और खनिजों के प्रशासन को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों और नियमों के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा था ।

निगरानी और मूल्यांकनः प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमों और विनियमों की अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन विभाग की एक आवश्यक गतिविधि है । विभाग में निगरानी के लिए विभिन्न साधन यथा विवरणियां, ई-रवन्ना, अधिशुल्क निर्धारण, पट्टों का नियमित निरीक्षण आदि का प्रावधान हैं ।

विवरणियों की नमूना जाँच से पता चला कि 28 प्रतिशत पट्टेदारों ने अप्रैल 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं की थी और 72 प्रतिशत पट्टेदारों ने 1,177 दिनों तक की देरी से अपनी विवरणी प्रस्तुत की थी । डीलरों के स्टॉक से रॉयल्टी भुगतान किए गए खनिजों के निर्गमन की जांच के लिए कोई विवरणी निर्धारित नहीं की गई थी । इसके अलावा खदान अनुज्ञापत्र धारकों द्वारा खनिजों के निर्गमन की जाँच के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया गया था ।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान ने सक्षम प्राधिकारियों द्वारा पट्टों का निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए । चयनित पट्टों के अभिलेखों की जांच से पता चला कि खननपट्टों के निरीक्षण के मानदंडों का भी पालन नहीं किया गया था और जब निरीक्षण किया गया था, तब भी प्रतिवेदनों में कमी थी । लेखापरीक्षा का मत है कि निरीक्षण में कमी बड़े पैमाने पर अवैध खनन का एक कारण हो सकती है । नियमों में पट्टों के वार्षिक अधिशुल्क निर्धारण के प्रावधान हैं । तथापि, राज्य में 31 मार्च 2020 तक 51 प्रतिशत अधिशुल्क निर्धारण बकाया थे । विभाग ने अधिशुल्क निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए कोई प्रयास नहीं किया । परिणामस्वरूप राजस्व के रिसाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

विभाग विचार कर सकता हैः

1. *विवरणी दाखिल नहीं करने वाले/विलंब से दाखिल करने वालों की रिपोर्ट तैयार करने और उन्हें प्रणाली द्वारा स्वतः नोटिस जारी करने के लिए प्रणाली में उपयुक्त परिवर्तन किया जाना;*
2. *अधिशुल्क भुगतान किए गए खनिजों की आवाजाही की प्रभावी निगरानी के लिए डीलरों के लिए आवधिक विवरणी के प्रावधान करना;*
3. *खनि अभियंता/सहायक खनि अभियंता द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में खनन गतिविधियों का समग्र दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए माह में विवरणियों की नमूना जांच किया जाने के प्रावधान करना;*
4. *खदान अनुज्ञप्ति से प्रत्येक निर्गमन के लिए खनिज के स्रोत का पता लगाने के लिए खनिज के साथ एक अनिवार्य वैध दस्तावेज का प्रावधान करना; और*
5. *खनन पट्टों के निरीक्षण के समय लिए गए फोटो सहित निरीक्षणों का विवरण डीएमजीओएमएस पर ऑनलाइन संधारित किया जाने के प्रावधान करना । इसके अलावा, निरीक्षण के लिए पट्टों का चयन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे ताकि एक निश्चित समयावधि के भीतर एक खण्ड के सभी पट्टों का निरीक्षण किया जा सके ।*

लेखापरीक्षा उद्देश्य III

क्या खनन गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रभावी नियंत्रण मौजूद थे ताकि पर्यावरण और पारिस्थितिक सरोकारों को ठीक से संबोधित किया जा सके।

चयनित पट्टों के उपग्रह चित्रों की जांच से पता चला कि वृक्षारोपण पर्यावरण मंजूरी में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं किए गए थे। किसी भी चयनित खण्ड में अवैध रूप से खनित क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन नहीं किया गया था।

राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने बजरी को उसी स्थान पर पुर्नस्थापित करने का आदेश दिया जहां से उसे अवैध रूप से उत्खनित किया गया था। चयनित खण्डों की पंचनामा पत्रावलियों की जांच से पता चला कि 40 मामलों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया गया था।

विभाग विचार कर सकता है:

1. *पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नीमकाथाना के पट्टाधारकों द्वारा शुरू किए गए सफल वृक्षारोपण की अच्छी प्रथा को अपनाएं और*
2. *माननीय न्यायालयों के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करें।*

निष्कर्ष स्वरूप, हमने पाया कि विभाग अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में असमर्थ था। इस प्रयोजन के लिए लगाए गए संसाधनों की क्षमता अपर्याप्त स्तर की रही और निगरानी की प्रभावशीलता कम पाई गई। इसलिए, विभाग को निगरानी प्रक्रियाओं और इसमें प्रौद्योगिकियों के उपयोग किये जाने की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

जयपुर (अतूर्वा सिन्हा)

दिनांक 25 अक्टूबर 2022 **महालेखाकार**

(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**

दिनांक 27 अक्टूबर 2022 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**